वन्यजीव अभयारण्यों में गैर-वानिकी गतिविधियों हेतु वन मंज़ूरी

स्रोत: द हिंदू

पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरति अधकिरण (National Green Tribunal- NGT) को बताया कि असम सरकार ने **सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य (Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary)** में गैर-वनीय गतिविधियों के लिये आवश्यक वन मंज़ूरी नहीं ली है। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी गतिविधियों हेतु केंद्र सरकार से मंज़ूरी की आवश्यकता होती है, जो नहीं मांगी गई।

- असम, भारत में स्थति **सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य** अपनी विविधि वनस्पतियों और जीवों के लिये जाना जाता है, जिसमें लुप्तप्राय एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है। यह विभिन्नि वन्यजीव प्रजातियों हेतु एक महत्त्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है तथा व्यापक काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग भू-दृश्य का हिस्सा है।
- मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT) को अतिक्रिमण के मुद्दों पर उचति आदेश पारति करने की सलाह दी तथा कहा कि राज्य सरकारें अनधिकृत निर्माण या अवैध बस्तियों की समस्या का समाधान कर सकती हैं।
    - NGT पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतकि संसाधनों के संरक्षण से संबंधति मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपिटान के लिये **राष्ट्रीय हरति अधकिरण अधिनियिम (2010)** के तहत स्थापति एक विशेष निकाय है।
- मंत्रालय के काउंटर-एफिडेविट (जबावी शपथ-पत्र) में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वन भूमि पर गैर-वानिकी गतिविधियों के लिये वन संरक्षण अधिनियिम, 1980 **की धारा 2(1)(ii)** के तहत केंद्रीय अनुमोदन की आवश्यकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
    - **वन संरक्षण अधिनियिम, 1980** भारत में गैर-वनीय उद्देश्यों हेतु वन भूमि के उपयोग को नियंत्रति करता है, जिसके लिये केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
    - इसका उद्देश्य वनों की कटाई को नियंत्रति करके तथा सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर वन भूमि को संरक्षति एवं सुरक्षति रखना है।

//

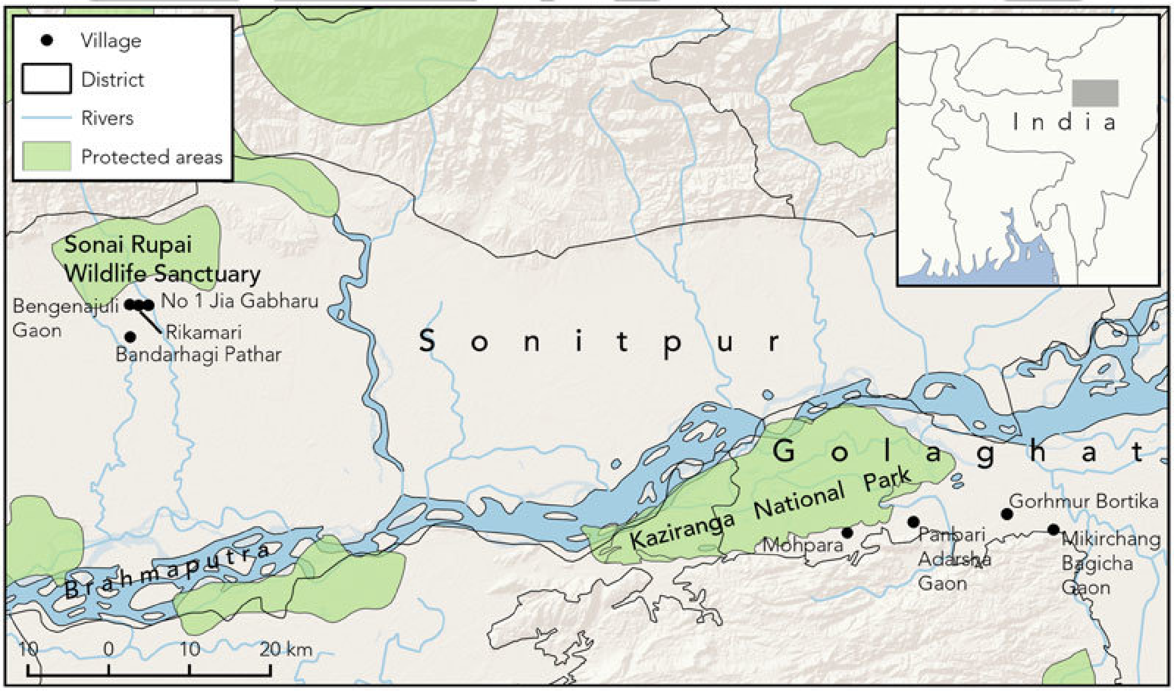

और पढ़ें: आरक्षति वन, होलोंगापार गबि्बन अभयारण्य, बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य, देहगि पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान: असम, राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/forest-clearance-for-non-foresting-activities-in-wildlife-sanctuaries